रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004 / 98 REGISTERED NO. DL-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 1998 / आषाढ 5, 1920
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 1998 / Asadha 5, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध निर्माण विभाग)
(नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2010)

सा.का.नि. 406 – राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा और अनुसंधान संस्थान की सिनेट, राष्ट्रीय औषध– षिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 28 और धारा 29 के अनुसरण मे, मास्टर डिग्री डॉ. आफ फिलोसाफी से संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्थापित अध्यापन पाठयक्रम, ऐसे पाठयक्रमो में प्रवेष के लिए प्रक्रियाओं, संदत्त की जाने वाली फीस, मूल्यांकन की पद्धति, विभिन्न समितियों की स्थापना, परीक्षक बोर्ड और डिग्रियों के अधिनिर्णय को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित अध्यादेष (संषोधित) बनाती है और यह निर्देष देती है कि उक्त अध्यादेष किस के प्रकाषन की तारीख से प्रवत्त होगा, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इस अध्यादेष का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध– षिक्षा और अनुसंधान संस्थान (मास्टर और डाक्टर आफ फिलोसफी की डिग्री) अध्यादेष, 2005 (संषोधित–2010) है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाषन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं–** इस अध्यादेष में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) 'सलाहकार' से विद्यार्थी अनुसंधान कार्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया संस्थान का कोई संकाय सदस्य अभिप्रेत है,

(ख) 'सलाहकार समिति' से विभागीय षैक्षणिक सलाहकार समिति अभिप्रेत है,

(ग) 'अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड' से संस्थान का अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड अभिप्रेत है,

(घ) 'बी.ई या बी.टेक' से क्रमषः इंजीनियरी को बेचलर डिग्री या प्रोद्यौगिकी की बैचलर डिग्री अभिप्रेत है,

(ड) 'बी.फार्म' से फार्मेसी की बैचलर डिग्री अभिप्रेत है,

(च) 'बी.वी.एच.सी' से पषु चिकित्सा विज्ञान को बैचलर डिग्री अभिप्रेत है,

(छ) 'अभ्यर्थी' से संस्थान के किसी षैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेष के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यष्टि अभिप्रेत है,

(ज) 'पाठयक्रम कार्य' से किसी विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले संबंधित विभाग द्वारा डिजाइन किए गए और प्रस्थापित अध्ययन पाठयक्रम अभिप्रेत है,

(झ) 'डिग्री' से मास्टर आफ फार्मेसी (एम.फार्म.) फार्मेसी में मास्टर आफ टैक्नोलोजी (एम. टैक(फार्म)), मास्टर आफ साइंस, (फार्मेसी), (एम.एस.(फार्म)), मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन (फार्म.) और डाक्टर आफ फिलोसोफी (पी.एच.डी) जो लागू हो, अभिप्रेत है,

(ञ) 'गेट' से भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थानों द्वारा संचालित इंजीनियरी मे स्नातक अभिक्षमता परीक्षण अभिप्रेत है,

(ट) 'संस्थान' से साहिबजादा अजित सिंह नगर, पंजाब स्थित राष्ट्रीय औषध– षिक्षा और अनुसंधान संस्थान अभिप्रेत है,

(ठ) 'संस्थानगत विद्यार्थी' से संस्थान अध्येता का उपभोग कर रहा, कोई विद्यार्थी अभिप्रेत है,

(ड) 'संयुक्त सलाहकार' से विद्यार्थी के अनुसंधान कार्य को पूरा करने में सलाहकार की सहायता करने के लिए विभागीय अनुसंधान समिति की मार्फत सलाहकार की सिफारिष पर अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई अतिरिक्त सलाहकार अभिप्रेत है,

(ढ) 'न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण अवधि' से वह न्यूनतम अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए कोई विद्यार्थी षोध निबंध को प्रस्तुत करने से पूर्व रजिस्ट्रीकत होना चाहिए,

(ण) 'एम.एस.सी' से मास्टर आफ साइंस अभिप्रेत है,

(त) 'एम.टेक.' से मास्टर आफ टेक्नोलोजी अभिप्रेत है,

(थ) 'नेट' से विष्वविधालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण अभिप्रेत है,

(द) 'मौखिक समिति' से मौखिक रक्षा समिति अभिप्रेत है,

(ध) 'अन्य संस्थान' से वे महाविद्यालय या विष्वविद्यालय अभिप्रेत हैं जो बैचलर डिग्री या उच्चतर डिग्री आफर करते हैं,

(न) 'अनुसंधान समिति' से विद्यार्थी अनुसंधान समिति अभिप्रेत है,

(प) 'प्रायोजित विद्यार्थी' से ऐसा विद्यार्थी अभिप्रेत है जो किसी बाहय संगठन से अध्योवृत्ति प्राप्त कर रहा है,

(फ) ''विद्यार्थी'' से किसी विषिष्ट षैक्षिक कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि या रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

3. साधारण मार्गदर्षक सिद्धांत : –

(1) विभिन्न षैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेष के लिए न्यूनतम अर्हता, अध्यादेष 4 द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मापमान के अनुसार होगी।

(2) किसी विद्यार्थी से, अध्यादेष के अधीन किसी व्यष्टि षैक्षिक कार्यक्रम के लिए यथा उल्लिखित पाठ्यक्रमों की मार्फत न्यूनतम क्रैडिट उपार्जित करना और अनुमोदित सलाहकार के मार्गदर्षन के अधीन संस्थान में अनुसंधान कार्य करना अपेक्षित होगा, और विषेष परिस्थितियों में किसी विद्यार्थी को संस्थान के बाहर अनुसंधान का भाग पूरा करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी विद्यार्थी से अध्यादेष 23 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी विषिष्ट कार्यक्रम के लिए मास्टर डिग्री देने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा करना अपेक्षित होगा।

(4) पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थी से अध्यादेष 23 के खंड (ख) के उपखंड (8) में यथा अधिकथित किसी न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण की अवधि की अपेक्षा का समाधान करना अपेक्षित होगा।

(5) किसी पी.एच.डी. विद्यार्थी की दषा में आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख साधारणतया वह तारीख होगी जिसको विद्यार्थी पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए किसी सेमेस्टर के आरम्भ में पहली बार औपचारिक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, जो वह तारीख ही होगी जो सभी आषयों और प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम में उसके सम्मिलित होने की तारीख है। तथापि आपवादिक दषाओं में रजिस्ट्रीकरण की तारीख को अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अधिकतम छह कलैंडर मास की प्रबलता दी जा सकेगी, यदि यह समाधान हो जाता है कि विद्यार्थी ने पहले सुसंगत अनुसंधान पर पर्याप्त मात्रा में समय व्यतीत किया है।

(6) यदि कोई विद्यार्थी किसी षैक्षिक कार्यक्रम से (या पी.एच.डी. कार्यक्रम की दषा में यदि रजिस्ट्रीकरण, आरंभिक रजिस्ट्रीकरण के पष्चात् पहले दो वर्षों के भीतर पर्यवसित हो जाता है) हट जाता है तो उसकी विद्यार्थी प्रास्थिति समाप्त हो जाएगी।

4. **प्रवेषों के लिए पात्रता** – विभिन्न षैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेष के लिए पात्रता के साधारण मार्गदर्षक सिद्धांत निम्नलिखित हैः µ

(क) **मास्टर ऑफ फार्मेसी/मास्टर ऑफ टेक्नोलोजी कार्यक्रम –**

(1) एम.फार्म डिग्री के लिए गेट सहित बी. फार्म;

(11) एम.टेक (फार्म) डिग्री के लिए गेट/नेट सहित बी.फार्म/बी.टैक/बी.ई (केमिकल इंजीनियरी) /मास्टर ऑफ साइंस।

(ख) **मास्टर ऑफ साइंस (फार्म) कार्यक्रम –**

(1) गेट/नेट में अर्हता प्राप्त बी.फार्म/एम.एस.सी;

(11) सभी पूर्व परीक्षा में 60 प्रतिषत अकों को प्रथम अग्रता सहित बी.वी.एस. सी/एम.बी.बी.एस.।

(ग) **मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन (फार्म) –**

बेचलर आफ फार्मेसी, रासायनिक या जैव विज्ञान में एम.एस.सी या रासायनिक इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी/बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी या न्यूनतम 60 प्रतिषत अकों सहित कोई अन्य सुसंगत अर्हता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55 प्रतिषत और षारीरिक निः ष्क्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिषत या दस बिंदु के मापमान पर कोई न्यूनतम संचयी श्रेणी बिन्दु औसत का 6.75 जहां कहीं अक्षर श्रेणियां अधिनिर्णीत की जाती हैं।

(घ) **पी.एच.डी. कार्यक्रम –**

(1) जहाँ कहीं अक्षर श्रेणियां अधिनिर्णीत की जाती हैं वहां मापमान पर 6.75 का एक न्यूनतम श्रेणी बिंन्दु औसत सहित एम.एस.सी (गेट/नेट में अर्हता प्राप्त/एम.फार्म (गेट/नेट में अर्हता प्राप्त/एम.(फार्म) गेट/नेट) में अर्हता प्राप्त/पषु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री या जहां कहीं अंक अधिनिर्णीत किए जाते हैं, वहां कुल न्यूनतम 60 प्रतिषत अंक या समतुल्य, जैसा अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए;

(11) किसी दस बिंन्दु मापमान पर 7.5 न्यूनतम श्रेणी बिन्दु औसत सहित बैचलर ऑफ टैक्नोलोजी/बैचलर ऑफ फार्मेसी (आपवादिक मामलों में)।

(5) प्रायोजित अभ्यर्थी –

(1) जहां कहीं अंक अधिनिर्णित किए जाते हैं वहां योग्यता प्राप्त कुल न्यूनतम 60 प्रतिषत अंकों सहित या जहां कहीं अक्षर श्रेणियां या समतुल्य अधिनिर्णित की जाती हैं वहां 10 बिंदु मापमान पर 6.75 के न्यूनतम संचयी श्रेणी बिंदु औसत सहित, अध्ययन एवं अनुसंधान बोर्ड (बी.एस.आर.) द्वारा यथा अवधारित और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संस्थान द्वारा दी गई परीक्षा या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के कार्यपालन को ध्यान में रखते हुए, मूल डिग्रियां धारण करने वाले लोक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों, सरकारी विभागों, अनुसंधान और विकास संगठनों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में कुल सीटों में से 5 प्रतिषत सीटें उपलब्ध होंगी।

(1) (षासी मंडल की 24 मार्च 2007 को आयोजित 46वीं बैठक द्वारा संषोधित)

(2) केवल दो वर्ष का न्यूनतम सुसंगत कार्यकरण अनुभव वाले लोक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों, सरकारी विभागों, अनुसंधान और विकास संगठनों आदि के कर्मचारियों पर इस प्रवर्ग में प्रायोजित अभ्यर्थियों के रूप में प्रवेष के लिए विचार किया जा सकेगा।

(3) किसी प्रायोजित अभ्यर्थी से अपने नियोक्ता से संस्थान में उसके अध्ययन या अनुसंधान की अवधि का कथन करते हुए षासकीय षीर्ष पत्र पर 'प्रायोजकता प्रमाणपत्र' पेष करने की अपेक्षा की जाएगी और उस अभ्यर्थी को औपचारिक वेतन और भत्तों सहित कर्तप्य पर समझा जाएगा और उसे अपना अध्ययन करने के लिए अध्ययन की अवधि हेतु पूर्ण से मुक्त किया जाएगा तथा अभ्यर्थी की फीस प्रायोजक संगठन द्वारा संदत्त की जाएगी। अध्ययन छुटटी के आधार पर प्रवेष चाहने वाले ऐसे अभ्यर्थी को इस आषय का कि उसे संस्थान में अध्ययन की अवधि के लिए छुटटी मंजूर की जाएगी या छुट्टी मंजूर कर दी गई है, एक सबूत दर्षित करना चाहिए।

(4) प्रायोजित अभ्यर्थियों के लिए गेट/ नेट की अपेक्षा को स्थिर किया जा सकेगा।

6. विदेषी राष्ट्रिकों को प्रवेष–

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विदेष मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति स्कीमों के अधीन चयन किए गए विदेषी राष्ट्रिकों पर संबंधित मंत्रालय की सिफारिष या प्रायोजकता पर प्रवेष के लिए विचार किया जा सकेगा।

(2) स्वतः वित्त पोषित विदेषी विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों को संस्थान द्वारा प्रत्यक्षतः स्वीकार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि संबंधित कार्यक्रम के अधीन पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

7. आरक्षण और षिथिलिकरण–

(1) राष्ट्रीय नीति का पालन करते हुए सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 प्रतिषत स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिषत स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे।

(2) संस्थान के सभी कार्यक्रमों में प्रवेष के लिए कुल मिलाकर षारीरिक रूप से निःषक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन प्रतिषत तक स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे परंतु यह तब जब कि इस प्रवर्ग से दो से अधिक अभ्यर्थी किसी एकल कार्यक्रम में दाखिल किए जाते हैं।

(3) पात्रता मापमान में किसी 10 बिंदु मापमान पर संचय श्रेणी बिंदु औसत के 6.25 तक या 55 प्रतिषत अंकों या समतुल्य तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट दी जा सकेगी।

(4) किसी 10 बिंदु मापमान पर संचयी श्रेणी बिंदु औसत के 5.75 तक या 50 प्रतिषत या समतुल्य तक पात्रता अपेक्षा में षारीरिक रूप से निःषक्तता वाले अभ्यर्थियों को छूट अनुज्ञात की जा सकेगी।

8. परीक्षा और साक्षात्कार–

(1) मास्टर कार्यक्रम के लिए परीक्षा में अभ्यर्थी के कार्यपालन पर विचार करते हुए संबंधित षैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेष दिया जाएगाय और पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए परीक्षा के साथ– साथ साक्षात्कार संस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) लिखित परीक्षा के लिए 70 प्रतिषत और साक्षात्कार के लिए 30 प्रतिषत का भारण दिया जाएगा।

9. आवेदनों को सीमित करना–

(1) प्रवेष परीक्षा और साक्षात्कार के प्रायोजन के लिए आवेदनों को निदेषक द्वारा विषेष रूप से गठित की जाने वाली प्रवेष परीक्षा समिति द्वारा सीमित किया जाएगा।

(2) आवेदनों को अध्यादेष 4 में लिखित न्यूनतम पात्रता मापमान के आधार पर सीमित किया जाएगा।

(3) *(1),*
(1) (24 मार्च 2007 को आयोजित षासी मंडल की 46 वीं बैठक द्वारा हटाया गया।)

10. वर्गीकरण

संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी षैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेष के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किसी के अधीन प्रवर्गीकृत किया जाएगाः

(क) संस्थान का छात्र
(ख) प्रायोजित छात्र, अर्थातः–

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विष्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैसे सरकारी/ अर्ध – सरकारी संगठनों और ऐसे अन्य निकाय और संगठनों द्वारा वित्त पोषित अभ्यर्थी
(2) किसी सांस्कृतिक विनिमय छात्रवत्ति कार्यक्रम के मार्फत नामनिर्देषित अभ्यर्थी, स्वतः वित्त पोषित विदेषी छात्र
(3) लोक या प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों, सरकारी विभागों, अनुसंधान और विकास संगठनों आदि द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी।

11. प्रवेष के लिए प्रक्रियाः

(1) विभिन्न राष्ट्रीय समाचार–पत्रों और वेबसाइट में प्रवेष सूचना के प्रकाषन के पष्चात सूचना ब्रोषर और आवेदन प्रारूप अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
(2) आवेदनों की संवीक्षा के पष्चात् पात्र अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा और, या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
(3) प्रवेष के लिए चयन किए गए आवेदकों की सूची विभागीय सूचना बोर्ड और वैबसाइट पर प्रर्दषित की जाएगी।
(4) अंतिम तारीख तक (जो समुचित समय पर अधिसूचित की जाएगी प्रवेष फीस के संदाय न करने पर चयन किए गए अभ्यार्थी स्वतः हट जाएंगे)।

12. फीस और संदाय

(1) समय–समय पर षासक बोर्ड द्वारा अवधारित की जाने वाली सभी फीस, प्रभार और षोध्य नकद रूप में या "रजिस्ट्रार राष्ट्रीय औषधीय षिक्षा और अनुसंधान संस्थान" के पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदत्त किए जाएंगे।

(2) वह राषि जो विद्यार्थी द्वारा जमा की गयी है, समय–समय पर षासी बोर्ड द्वारा विनिष्चित की जाने वाली राषि की कटौती करने के पष्चात, प्रतिसंदाय की जाएगी यदि विद्यार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पूर्व संकायाध्यक्ष को काई लिखित आवेदन किया जाता है।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पष्चात प्रतिसंदाय के लिए अनुरोध किया जाता है केवल प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाएगा ।

13. छात्रवृत्ति

(1) संस्थान के सभी विधार्थी सिनेट द्वारा अधिकथित निबंधनों और षर्तों के अनुसार छात्रवृत्ति के हकदार होंगे।

(2) संस्थान में या कहीं और (यदि कोई हो) अपने रजिस्ट्रीकरण के दौरान (जिसके अंतर्गत पूर्व रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई होए सम्मिलित हैं) कोई विधार्थी एम.फार्मा., एम. टेक.(फार्म.) और एम.एस.(फार्म.) कार्यक्रमों की दषा में चार सेमेस्टरों से अनधिक और पी. एच.डी. कार्यक्रम की दषा में चार सेमेस्टरो से अनधिक वर्षो के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करेगा।

(3) छात्रवृत्तियां सिनेट द्वारा अधिकथित निबंधनों और षर्तो में अनुसार मास्टर डिग्री के लिए प्रत्येक सेमेंस्टर में और डाक्टरेट डिग्री के विधार्थी के लिए प्रत्येक वर्ष नवीकरणीय है।

(4) छात्रवृत्ति प्रत्येक प्रक्रम पर पर्यवसान के लिए दायी होंगी यदि पाने वाले व्यक्ति के लिए कार्य की प्रगति और अवचार समाधानप्रद नहीं पाया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी के प्रति कोई विपरीत कार्यवाही की जाती है तो छात्र को उसकी सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।

14. विद्यार्थी का रजिस्ट्रीकरणः

(1) प्रत्येक विद्यार्थी को संस्थान द्वारा अधिकथित अनुसूची और प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ से पूर्व व्यक्तिगत रूप मे स्वयं को रजिस्ट्रीकरण कराना है।

(2) विभागों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की तारीख समय और स्थान रजिस्ट्रीकरण से पूर्व विद्यार्थियों को ज्ञात कराया जाएगा ।

(3) विद्यार्थी को षोध निबंध या षोध प्रबन्ध के प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक सेमेस्टर में रजिस्ट्रकरण का नवीनकरण कराना है ।

(4) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा सिफारिष के अनुसार उसके अनुसंधान कार्य में क्रेडिटों या पाठयक्रमों के विनिर्दिष्ट संख्या में पूरा होने या प्रगति के समाधानप्रद होने के अध्यधीन होगा ।

(5) कोई विद्यार्थी जो व्यक्तिगत रूप से अपना रजिस्ट्रीकरण या उसे नवीकृत करने में असफल रहता है तो संस्थान के विद्यार्थी होने के रूप में उस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा तथापि, वास्तविक मामलों में संकायाध्यक्ष विलंब फीस के संदाय पर विलंब रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन कर सकेगा।

(6) केवल आपवादिक परिस्थितियों में अनुपस्थिति में रजिस्ट्रीकरण को संकायाध्यक्ष के विवेकानुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(7) प्रवेष के समय पर विद्यार्थी को सभी अपेक्षित फीस और संदाय रजिस्ट्रीकरण से पूर्व प्रेषित करने चाहिए।

(8) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए विद्यार्थी को लेखा विभाग से और दूसरे होस्टल वार्डन से (यदि लागू हो) उसके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व 'कोई षोध्य नहीं' प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने चाहिए ।

(9) विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयक और विद्यार्थी अनुसंधान समिति के परामर्ष से पाठ्यक्रमों को जोड़ा जा सकेगा।

(10) विद्यार्थी को, संकायाध्यक्ष को कोई आवेदन करके, आपवादिक मामलों मे, मामले की परिस्थितियों के पूर्ण ब्यौरे देते हुए किसी पाठ्यक्रम से और साथ ही समस्त सेमेस्टर से वापस हटने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और संकायाध्यक्ष अपने विवेकानुसार उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(11) किसी को भूतलक्षी रूप से हटने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(12) विद्यार्थी का रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के अधीन रद्द हो जाएगा :–

(1) विद्यार्थी का पूर्व सूचना के बिना या छुट्टी मंजूर किए बिना चार सप्ताह की लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहना,

(2) विद्यार्थी जो कार्यक्रम से त्यागपत्र देता है और त्यागपत्र की विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा सम्यक रूप से सिफारिष की जाती है,

(3) विद्यार्थी किसी सेमेस्टर के लिए रजिस्टर करने में असफल रहता है,

(4) विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन समाधानप्रद पाया जाता है,

(5) विद्यार्थी परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है,

(6) विद्यार्थी अवचार/या अनुषासनहीनता के कार्य में अंतर्निहित पाया जाता है और पर्यवसान की समक्ष प्राधिकारी सिफारिष की जाती है।

15. पाठ्यक्रम कार्य और मूल्यांकन :–

(क) क्रेडिट प्रणाली :–

(1) संस्थान में षिक्षा को क्रेडिट प्रणाली के इर्द गिर्द संगठित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक कतिपय संख्या में क्रेडिट होंगे जो उसके भार को वर्णित करेंगे, और विद्यार्थी का कार्यपालन या प्रगति को क्रेडिटों की संख्या से मापा जायेगा कि उसने उसे समाधानप्रद रूप में पूरा कर लिया है।

(3) डिग्री में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम श्रेणी बिंदु अपेक्षित होगा।

(4) किसी दिए गए सेमेस्टर में प्रत्येक पाठ्यक्रम उस विभाग के संकाय सदस्य द्वारा, जिसे पाठ्यक्रम समन्वयक कहा जाएगा, समन्वित किया जाएगा।

(5) समन्वयक का पाठ्यक्रम को संचालित करने, उस पाठ्यक्रम में अंतर्निहित संकाय के अन्य सदस्यों के कार्य का समन्वय करने और परीक्षा कराने और समनुदेषन देने ग्रेड अधिनिर्णीत करने का पूरा उत्तरदायित्व होगा, और विद्यार्थी से किसी कठिनाई की दषा में पाठ्यक्रम समन्वयक के पास सलाह करने और स्पष्टीकरण के लिए जाना आषयित है।

(ख) मूल्यांकन :–

किसी पाठ्यक्रम के क्रेडिटों का निम्न प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा :–

(1) सभी व्याख्यान पाठ्यक्रम, प्रति व्याख्यान या प्रति सप्ताह या प्रति सेमेस्टर एक क्रेडिट, पाठ्यक्रम के अनुसार अधिकतम तीन क्रेडिटों के निर्वंधन सहित साधारण रूप से स्वीकार किया जाएगा।

(2) यदि किसी पाठ्यक्रम के लिए तीन क्रेडिटों से अधिक वाले पाठ्यक्रम की आवष्यकता है तो उसे अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से स्थापित किया जाएगा।

(3) सभी प्रयोगषाला और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के साधारण रूप से प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक सेमेस्टर में पांच घंटों के लिए एक क्रेडिट होगा, इससे हटने के लिए किसी आवष्यकता को अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से स्थापित किया जाएगा।

16. विषेषज्ञता :–

विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी एक में विषेषज्ञता सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेष दिया जाएगा अर्थात् :–

(क) मास्टर आफ फार्मेसी (एम.फार्म.)

(1) पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर की अवधि का होगा जिसमें से अंतिम सेमेस्टर के समुचित क्षेत्र में प्रषिक्षण के लिए उपयोग किया जायेगा।
(2) विषेषज्ञता निम्नलिखित क्षेत्रो से प्रस्तावित की जाएगीः–
(क) क्वालिटी आष्वासन,
(ख) औषध विज्ञान प्रौद्योगिकी (सूत्रभोग),
(ग) औषध विज्ञान (प्रबंध और विपणन उद्यमीयता के विकास पर बल),
(घ) न्यायालिक फार्मेसी (जिसके अंतर्गत औषध विधि उनका प्रवर्तन और मामले का इतिहास है)
(ड) वृत्तिक फार्मेसी (जिसके अंतर्गत नैदानिक फार्मेसी है), और
(च) फुटकर और अस्पताल फार्मेसी और ग्रामीण फार्मेसी में औषध – विज्ञान प्रषासन

(ख) मास्टर आफ टेक्नॉलाजी (फार्म.) कार्यक्रम :–

(1) पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर की अवधि का होगा जिसमें से समय का कुछ भाग क्षेत्र प्रषिक्षण में व्यतीत किया जाएगा।
(2) निम्नलिखित विषेषज्ञता प्रस्तावित की जाएगी
(क) औषध विज्ञान प्रौद्योगिकी (संषलिष्ट औषध के प्रपुंज उत्पादन और पौध उत्पादन पर आधारित): और
(ख) औषध – विज्ञान प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रपुंज उत्पादन)

(ग) मास्टर आफ साइंस (फार्म.) कार्यक्रम :–

(1) पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर की अवधि का होगा जिसमें से समय के कुछ भाग का क्रियाषील अनुसंधान में उपयोग किया जाएगा।
(2) विषेषज्ञता निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रस्तावित की जाएगी :–
(क) औषध – विज्ञान विष्लेषण,
(ख) औषधीय रसायन विज्ञान,
(ग) भेषज गुण विज्ञान,
(घ) विष विज्ञान,
(ड.) औषध – विज्ञान
(च) प्राकृतिक उत्पाद,
(छ) जैव प्रौद्योगिकी,
(ज) भेषज गुण विज्ञान व्यवहार, और
(झ) भेषज गुण सूचना विज्ञान

(घ) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन (फार्म)–

(1) पाठयक्रम चार सेमेस्टर की अवधि का होगा जिसमें से समय का कुछ भाग परियोजना कार्य पर व्यतीत किया जाएगा।
(2) विषेषज्ञता निम्नलिखित क्षेत्रो से प्रस्तावित की जाएगीः–
(क) विपणन,
(ख) उत्पादन,
(ग) सूचना प्रणाली प्रबंध,
(घ) वित्त, और
(ड) मानव संसाधन प्रबंध।

17. **ग्रेडिंग प्रणाली –**

(1) किसी विषेष पाठयक्रम में किसी विधार्थी को दिया गया ग्रेड उसके प्रमुख परीक्षणों, गृहकार्यों, प्रयोगषाला कार्य, कार्यषाला कार्यों आदि में कार्यपालन पर आधारित होगा।
(2) भार का वितरण पाठ्यक्रम में समन्वयक द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।
(3) अक्षर ग्रेड और उनके समतुल्य श्रेणीबिंदु नीचे सारणी में उपदर्शित हैं।

अक्षर श्रेणी	श्रेणीबिंदु	कार्यपालन
ए	10	विषिष्ट
ए (–)	9	उत्कृष्ट
बी	8	अति उत्त्म
बी(–)	7	उत्त्म
सी	6	औसत
सी(–)	5	औसत से कम
डी	4	सीमांत
ई	2	अपकृष्ट
एफ	0	अति अपकृष्ट
आई	–	अक्षम
एन	–	संपरीक्षा उत्तीर्ण
एन.डी.	–	संपरीक्षा अनुतीर्ण
डब्लू	–	हटना
एक्स	–	जारी रहना (केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए)
एस	–	समाधान रूप से पूरा होना
जैड	–	पूरा न होना

श्रेणीबिंदु औसत (जी.पी.ए.)== (क्रेडिटों की संख्या द्विगुण बिंदु श्रेणी)

(4) श्रेणी बिंदु औसत की संगणना करने के लिए केवल वे पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत उन प्रयोजनाओं को हिसाब में लिया जाएगा जिनमें विद्यार्थी को ए, बी, सी, डी, आई या एफ श्रेणी अधिनिर्णीत की जाती है।

18. **परीक्षा का पुनः लिया जानाः–**

(1) परीक्षा का पुनः केवल सिद्धांत पाठयक्रमों में निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञात किया जाएगा µ

(क) किसी विद्यार्थी को सभी पाठयक्रमों में पुनः परीक्षा देनी होगी जिनमें उसने ई या एफ श्रेणियां अभिप्राप्त कर ली हैं।

(ख) यदि कोई विद्यार्थी किसी सिद्धांत पाठ्यक्रम में ई या एफ श्रेणी प्राप्त नहीं करता है किंतु 5.50 से कम संचयी श्रेणी बिंदु औसत प्राप्त करता है तो वह अपनी श्रेणियों में सुधार करने के लिए अधिक से अधिक दो पाठ्यक्रमों में उपस्थित हो सकता हैः

(ग) सभी अन्य मामलों में कोई विद्यार्थी अपना संचयी श्रेणीबिंदु औसत में सुधार करने का इच्छुक है तो उसे प्रति सेमेस्टर दो से अधिक सिद्धांत पाठ्यक्रमों में पुनः परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) पुनः परीक्षा में दिए गए श्रेणीबिदुं अंतिम होंगे।

(3) सुधार करने वाले अभ्यर्थियों को योग्यता अधिनिर्णय के लिए दावा नहीं करने दिया जाएगा और उन्हें प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से श्रेणी नीचे रखा जाएगा।

(4) सुधार परिणामों को स्पष्ट रूप से अधिनिर्णय सूची में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) विद्यार्थी को नियमित विद्यार्थियों के साथ–साथ पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर करने का विकल्प भी होगा, जब वह पाठ्यक्रम प्रस्तावित होता है।

(6) कोई विद्यार्थी प्रत्येक सेमेस्टर में दो से अधिक पुनः परीक्षाओं का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

19. **'आई' श्रेणी–** *ख,*

(1) 24 मार्च 2007 को आयोजित षासी मंडल की 46वीं बैठक में संषोधित,

(अ) निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र को आई–श्रेणी से पारितोषित किया जाएगाः

(1) संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र के अंतर्गत यदि कोई छात्र/छात्रा किसी कारणवष जिसमें आकस्मिक बीमारी या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पाठयक्रम की सभी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। यदि कोई छात्र बीमारी या दुर्घटना के समय संस्थान से बाहर है, तो छात्र का चिकित्सा प्रमाणपत्र संबंधित ज़िले के उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के समतुल्य पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। संस्थान के पास उस आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा तथा इस संबंध में संकायाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(2) यदि संबंधित पाटयक्रम समन्वयक केस की परिस्थितियों को सही मानता है तो अ) के अनुसार उपरोक्त को अपना हाजिरी रिकार्ड प्रमाणित करवाना होगा तथा इस प्रमाणीकरण के आधार पर, संबंधित विभागाध्यक्ष इस केस को संकायाध्यक्ष के पास छात्र को आई ग्रेड दिलवाने के लिए सिफारिष करेगा। संकायाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत, अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति सीनेट को पुष्टि के लिए दी जाएगी।

(3) यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिषत से अधिक है लेकिन वह पाट्यक्रम की अंतिम छमाही परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उपरोक्त अ) के अनुसार, छात्र को आई ग्रेड से पारितोषित किया जाएगा तथा उसे पाटयक्रम के अंतिम छमाही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिसमें वह अनुपस्थित था, तथा अगली छमाही में 10 दिनों के अंतिम दिन की मध्यावधि परीक्षा में जो कि छात्र के आवेदन के आधार पर कोर्स समन्वयक द्वारा उचित तरीके से प्रमाणित होगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा संकायाध्यक्ष को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा।

(4) उपरोक्त अ) में दिए गए कारणों के अनुसार यदि किसी छात्र की समेस्टर में हाजिरी 50 से 75 प्रतिषत के बीच होगी तो कोर्स समन्वयक विभागाध्यक्ष के परामर्ष के अनुसार छात्र को उन विषयों पर नियत कार्य जिसमें वह अनुपस्थित था के ज़रिये अपनी हाज़िरी को पूरा करने की अनुमति देगा तथा उस नियत कार्य का रिकार्ड संभाल कर रखा जाएगा। संकायाध्यक्ष द्वारा छात्र को अनुमति दी जाएगी, जब यह सुनिष्चित कर लिया जाएगा कि छात्र ने अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए हाजिरी से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

(ब) मध्यावधि परीक्षाः

यदि कोई छात्र किसी कारणवष मध्यावधि परीक्षा में अनुपस्थित होता है तो, कोर्स समन्वयक छात्र को षून्य अंक प्रदान करेगा।

(स) पूरक परीक्षाः

(1) यदि छात्र को अधिकतम दो पाठ्यक्रमों में ई या एफ ग्रेड प्राप्त होता है तो, पैरा 18 के अनुसार छात्र को पूरक परीक्षा में बैठना ज़रूरी है। परीक्षा अगले समेस्टर से पहले मध्यावधि परीक्षा के 10 दिनों के अंतिम दिन के दौरान आयोजित की जाएगी।

(2) आई ग्रेड के अलावा दिए गए कारणों को छोड़कर, यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिषत या उससे अधिक है परंतु यदि वह किसी कारणवष पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में असमर्थ है, तो छात्र को समेस्टर के अंतर्गत जब परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, तब आगामी वर्ष की अंतिम परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा। छात्र को दोबारा कक्षाएं लगाने की ज़रूरत नहीं होगी तथा वह अनुवर्ती समेस्टर का कोर्स/ व्याख्यान साथ–साथ में जारी रख सकता है।

(3) यदि किसी छात्र की हाजिरी 75 प्रतिषत से कम है तथा वह किसी कारणवष पाठ्यक्रम की परीक्षा देने में असमर्थ है, तो वह आगामी वर्ष में पाठ्यक्रम को दोहराएगा जब पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। छात्र कक्षाओं में तभी उपस्थित होगा, जब वह समेस्टर की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा तथा दोबारा से मध्यावधि एवं अंतिम परीक्षा में उपस्थित होगा।

(4) यदि किसी छात्र की हाजिरी 50 प्रतिषत से नीचे है तो, आगामी वर्ष में छात्र को पाठ्यक्रम में दोबारा से उपस्थित होना पड़ेगा, समेस्टर में जब पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

20. लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम अपेक्षा –

(1) एन श्रेणी के लिए कोई लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा को पाठ्यक्रम के आरंभ में किसी पाठ्यक्रम के षिक्षक द्वारा अधिकथित किया जाएगा।

(2) यदि किसी विद्यार्थी का कार्यपालन समाधानप्रद नहीं है तो उसे एन ग्रेड अधिनिर्णीत किया जाएगा।

(3) किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विषिष्ट पाठ्यक्रम में जिसमें वह पहले से रजिस्ट्रीकृत है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चार साप्ताह से अपष्चात् लेखा परीक्षा श्रेणी के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

21. ''डब्ल्यू श्रेणी'' –

(1) मुख्य परियोजना से भिन्न किसी पाठ्यक्रम से वापस हटने को पाठ्यक्रम समन्वयक की अनुज्ञा से दूसरे सप्ताह के अंत में अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विषिष्ट पाठ्यक्रम में जिसमें वह पहले से रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चार सप्ताह से अपष्चात् डब्लयू श्रेणी के लिए अनुरोध किया जा सकेगा।

(3) यह विष्वास होने पर कि विद्यार्थी किसी के भी नियंत्रण के परे के कारणों से अपना अध्ययन जारी नहीं रख सकता है तो अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड ऐसे विद्यार्थी को सभी पाठ्यक्रमों से वापस हटने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

22. ''एक्स श्रेणी'' –

(1) यह श्रेणी अपूर्ण परियोजना कार्य के लिए दी जा सकेगी और परियोजना कार्य के पूरा करने और उसके मूल्यांकन पर किसी नियमित श्रेणी में संपरिवर्तित की जा सकेगी।

(2) आपवादिक मामलों में एक्स श्रेणी निम्नलिखित षर्तों के अधीन रहते हुए दी जा सकेगी : –

(क) संस्थान के प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में चिकित्सा आधार; और/या
(ख) सलाहकार या उपस्कर जो उपलब्ध नहीं है।

23. विभिन्न कार्यक्रमों में मास्टर डिग्री देने के लिए अर्हक मापमानः–

(क) मास्टर ऑफ फार्मेसी/मास्टर ऑफ टेक्नालोजी (फार्म.), मास्टर ऑफ साइंस (फार्म), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रषन (फार्म.) के लिए अपेक्षाएं–

(1) मास्टर डिग्री के लिए न्यूनतम क्रेडिट अपेक्षा पचास विधिमान्य क्रेडिट होगी जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के न्यूनतम अठाइस क्रेडिट और परियोजना कार्य के षेष कार्य सम्मिलित हैं।

(2) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रषन ;फार्म.द्ध की डिग्री के लिए क्रेडिट अपेक्षा न्यूनतम नब्बे विधिमान्य क्रेडिट होगी जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के न्यूनतम पचहत्तर क्रेडिट और परियोजना कार्य के बकाया क्रेडिट सम्मिलित हैं।

(3) डिग्री के अधिनिर्णय के लिए अपेक्षित न्यूनतम संबंधी श्रेणी बिंदु औसत 6.00 होगा। यदि संचयी श्रेणी बिंदु औसत 5.50 से अधिक है किंतु किसी सेमेस्टर में 6.00 से नीचे हैं तो अभ्यर्थी को अध्यादेष 18 के अनुपालन के अधीन रहते हुए, कार्यक्रम में बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(4) यदि किसी सेमेस्टर में संचयी श्रेणी बिंदु औसत 5.50 से कम है तो विद्यार्थी को उपार्जित करने पर ध्यान दिए बिना दो अधिकतम सिद्धांत पाठ्यक्रमों में पुनः परीक्षा देकर अपने संचयी श्रेणी बिंदु औसत में सुधार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) यदि कोई विद्यार्थी ऊपर अध्यादेष 18 के अनुसार अधिकतम संख्या में पुनः परीक्षा देने का उपयोग करने के पष्चात् पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने में असफल रहता है या न्यूनतम संचयी श्रेणी बिंदु औसत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे कार्यक्रम में नहीं बने रहने दिया जाएगा।

(6) मास्टर कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि, कार्यक्रम में सम्मिलित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी।

(ख) डाक्टर ऑफ फिलोसोफी लेने में अपेक्षाएं : –

(1) संस्थान के एम. एस. ;फार्म.द्ध डिग्री के धारकों को पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेष के लिए न्यूनतम बारह क्रेडिटों के डाक्टोरल पूरे करने होंगे और सभी अन्य विद्यार्थियों को न्यूनतम अठाइस क्रेडिट करने होंगे। (विषेषज्ञता से सोलह क्रेडिट अन्यून)

(2) न्यूनतम संचयी श्रेणी बिंदु औसत अपेक्षा 6.50 होगी।

(3) यदि संचयी बिंदु औसत 6.00 से ऊपर है किंतु 6.50 से नीचे है तो अपेक्षित संचयी श्रेणी बिंदु औसत को पूरा करने के लिए अधिक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कहा जाएगा।

(4) यदि किसी सेमेस्टर के अंत में संचयी श्रेणी बिंदु औसत 6.00 से नीचे है तो उसे पी. एच.डी कार्यक्रम बंद करना होगा।

(5) किसी विद्यार्थी का केवल विस्तृत परीक्षा उत्तीर्ण करने के पष्चात् पी.एच.डी डिग्री की अभ्यर्थिता में औपचारिक रूप से रजिस्ट्रीकृत या प्रवेष दिया जाएगा जिसके लिए उसे किसी अनुसंधान योजना और पाठ्यक्रम कार्य को पूरा करने के पष्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(6) अधिकतम दो प्रयासों ;उसी सेमेस्टर में नहींद्ध के लिए विस्तृत परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए किसी विद्यार्थी को अनुज्ञात किया जाएगा।

(7) विस्तृत परीक्षा को पूरा करने के पष्चात् किसी विद्यार्थी को पी.एच.डी के लिए औपचारिक रूप से रजिस्ट्रीकृत करना चाहिए;

(8) विद्यार्थी से तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत किए जाने की अपेक्षा की जाएगी, किंतु आपवादिक मामलों में न्यूनतम रजिस्ट्रीकरण अवधि को सीनेट के अनुमोदन से दो वर्षों तक कम किया जा सकेगा।

24. समितियां –

बोर्ड, संस्थान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिख्ति समितियों का गठन करेगाः –

(क) अध्यन और अनुसंधन बोर्ड (बी.एस.आर)

(1) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगीः µ

(क) संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सदस्य;

(ग) औसत विज्ञान के तीन विभिन्न क्षेत्रों से तीन विषेषज्ञ; और

(घ) उप रजिस्ट्रार (परीक्षा), जो समिति का गैर सदस्य सचिव होगा।

(2) समिति, विद्यार्थी प्रवेष, पाठ्यक्रम कार्यों को चलाने, परीक्षा या मूल्यांकन प्रक्रियाओं तथा विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा उसे अग्रेषित किसी अन्य विषय से संबंधित प्रषासनिक कृत्यकरणों का पर्यवेक्षण करेगी।

(ख) विभागीय षैक्षिक सलाहकार समिति (सलाहकार समिति)

समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी

(1) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा;

(2) संकायाध्यक्ष, का नामनिर्देषिती, जो संबंधित विभाग से भिन्न संस्थान का कोई संकाय सदस्य होगा और दो वर्ष के लिए सदस्य रहेगा; और

(3) संबंधित विभाग द्वारा नामनिर्देषित किये जाने वाले दो विषेषज्ञ जिनमें से एक षैक्षणिक क्षेत्र से और उद्योग क्षेत्र से होना चाहिए।

(ग) विद्यार्थी अनुसंधान समिति ;अनुसंधान समितिद्ध

समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी

(1) विभागाध्यक्ष (संबंधित विभाग का कोई अन्य संकाय सदस्य, विभागध्यक्ष की दषा में सलाहकार);

(2) सलाहकार, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(3) विभाग से क्षेत्र का एक सदस्य;

(4) संबंधित विभाग से भिन्न अधिमानसः संबंधित क्षेत्र में, संकायाध्यक्ष, का नामनिर्देषिती, जो संस्थान का एक संकाय सदस्य होगा।

25. षेाध निबंध सलाहकार–

(1) प्रत्येक प्रवेष दिए गए विद्यार्थी को, संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के अधीन रहते हुए विद्यार्थी की अधिमानतः पर विचार करते हुए विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिष पर विभागाध्यक्ष द्वारा एक अनुसंधान सलाहकार दिया जाएगा।

(2) एस.एस. के अनुसंधान (फार्म.) विद्यार्थियों की दषा में, दूसरे सेमेस्टर के आरंभ में सलाहकार दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(3) सलाहकार, संस्थान का षैक्षिक कर्मचारीवंद का पूर्णकालिक सदस्य होगा।

(4) पी.एच.डी विद्यार्थी के लिए सलाहकार पहले सेमेस्टर के दौरान नियुक्त किया जाएगा।

(5) यदि आवष्यक हो तो अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड, सलाहकार की सिफारिष पर विभागीय अनुसंधान समिति की र्माफत, विद्यार्थी कार्य को पूरा करने में सलाहकार की

सहायता करने के लिए संस्थान के बाहर के दो से अधिक सलाहकार नियुक्त किए जा सकेंगे।

(6) साधारणतया संस्थान के भीतर एक विद्यार्थी के लिए दो से अधिक सलाहकार नहीं होने चाहिए और संयुक्त सलाहकार विद्यार्थी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 18 मास की अवधि के भीतर उसके सिवाय नियुक्त किया जाना चाहिए जब सलाहकार एक बार में एक वर्ष या उससे अधिक के लिए संस्थान में नहीं है।

26. विस्तृत परीक्षा के लिए अनुसंधान प्रस्ताव –

(1) अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र का विस्तार स्थापित करने के लिए और षैक्षिक तैयारी और प्रस्तावित अनुसंधान योजना को कार्यान्वित करने की क्षमता के लिए प्रत्येक पीएच.डी विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा संचालित की जाने वाली एक विस्तृत मौखिक परीक्षा देनी होगी जो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अनुसंधान योजना के संदर्भ में और परीक्षा में विद्यार्थी के कार्यपालन के आधार पर एक मौखिक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी का मूल्यांकन करेगी तथा उक्त समिति निम्नलिखित सिफारिषों में से एक सिफारिष करेगीः –

(क) **विद्यार्थी**

(1) उत्तीर्ण हो गया है;

(2) को, विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि परिभाषित करने के पश्चात् और अतिरिक्त पाठ्यक्रम करने के पश्चात् परीक्षा में पुनः बैठना होगा;

(3) को, विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा सुझाए गए रूप में उपांतरित अनुसंधान योजना को पुनः प्रस्तुत करना होगा और एक परिभाषिक कालाविधि के पश्चात् मूल्यांकित करना होगा;

(4) अनुत्तीर्ण हो गया है।

(ख) अनुसंधान योजना –

(1) अनुमोदित,

(2) अनुमोदित नहीं,

(2) किसी विद्यार्थी को विस्तृत उत्तीर्ण परीक्षा करने के लिए अधिकतम दो प्रयास उपलब्ध कराये जायेंगे और किसी परीक्षा को छठे सेमेस्टर के आरम्भ होने से पूर्व पूरा करना होगा, ऐसा न हो सकने पर उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जायेगा।

27. पी.एच.डी. देने के लिए पात्रता शर्तें :–

(1) 6.50 के न्यूनतम संचयी श्रेणी विंदु औसत सहित डाक्टरल पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर (प्रवेष कर्ताओं के साधारणतया एम.एस. (फार्म.) की दषा में कार्यक्रम में प्रवेष लेने के पहले दो सेमेस्टरों के भीतर और एम.एस.ई. या एम.फार्म. प्रवेषकर्ताओं के लिए चार सेमेस्टरों सहित) विद्यार्थी, विस्तृत परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्ष्चात ही पी.एच.डी. डिग्री की अभ्यर्थता में स्वयं को औपचारिक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विहित प्ररूप में अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड को किया जाना चाहिए।

(3) रजिस्ट्रीकरण की तारीख, कार्यक्रम में सम्मिलित होने की तारीख होगी। आपवादित मामलों में रजिस्ट्रीकरण की तारीख को अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अधिकतम छह मास तक प्रास्थगित किया जा सकेगा, यदि यह समाधान हो जाता है कि विद्यार्थी ने पहले ही अुनसंधान में पर्याप्त समय व्यतीत कर लिया है।

28. प्रगति मानिटरिंग :–

(1) विद्याथी अनुसंधान समिति समय–समय पर बैठक करेगी और प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यपालन में सुधार करने के तरीकों में, सलाहकार के सम्यक परामर्ष के पष्चात सुझाव दे सकेगी।
(2) विद्यार्थी से, प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सलाहकार को एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा जो उसके पष्चात विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा पुनर्विलोकन की व्यवस्था करेगा।
(3) पुनर्विलोकन के पष्चात निम्नलिखित सिफारिषों में एक सिफारिष होगी :–

(1) रजिस्ट्रीकरण का जारी रहना, या
(2) सुधार के सुझाव सहित रजिस्ट्रीकरण का जारी रहना, या
(3) रजिस्ट्रीकरण का पर्यवसान।

29. शोध निबंध या शोध प्रबंध तैयार करना और उसका प्रस्तुतीकरण :–

(1) परियोजना पूरी करने और विद्यार्थी अनुसंधान समिति से निकासी प्राप्त करने के पष्चात एम.एस. (फार्म.) विद्यार्थी, प्रस्तुत करने के लिए शोध प्रबंध तैयार करना।
(2) पी.एच.डी. अनुसंधान कार्य पूरा करने और विद्यार्थी अनुसंधान समिति से निकासी प्राप्त करने पर, विद्यद्यार्थी सलाहकार के माध्यम से किए गए अनुसंधान का सक्षिप्त सार, जिसके अंतर्गत ग्रंथ सूची भी है, विद्यार्थी अनुसंधान समिति को प्रस्तुत करेगा।
(3) पी.एच.डी. विद्यार्थी से, रजिस्ट्रीकरण की तारीख पांच वर्ष के भीतर जिसे अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड के अनुमोदन से अधिकतम सात वर्षों तक विस्तारित किया जा सकेगा, शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
(4) शोध निबंध की चार प्रतियां संक्षिप्त सार प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
(5) एम.एस. (फार्म.) के विद्यार्थियों अनुसंधान समिति से समाषोधन प्राप्त करने के प्श्चात शोध प्रबंध की चार प्रतियों प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

30. परीक्षक बोर्ड :–
(1) पी.एच.डी. विद्यार्थी संक्षिप्त सार प्रस्तुत करने के प्ष्चात संकायाध्यक्ष द्वारा एक परीक्षक बोर्ड गठित किया जायेगा जो सलाहकार द्वारा सुझाए गए और विद्यार्थी अनुसंधान समिति द्वारा सुझाए गए और विद्यार्थी अनुसंधान समिति सिफारिष किये गए छह विषेषज्ञों के पैनल में से विद्यार्थी के अनुसंधान के क्षेत्र में दो विषेषज्ञों से मिलकर बनेगा।
(2) एम.एस. (फार्म.) शोध प्रबंध के लिए विद्यार्थी अनुसंधान समिति परीक्षक बोर्ड के रूप में कार्य करेगी।

31. शोध निबंध या शोध प्रबंध का मूल्यांकन :–
(1) पी.एच.डी. शोध निबंध का, संकायाध्यक्ष द्वारा नियुक्त परीक्षक बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।
(2) प्रत्येक परीक्षक से शोध निबंध का मूल्यांकन करने और अपने निर्धारण को भेजने तथा नियत समय के भीतर संकायाध्यक्ष को सिफारिष करने का अनुरोध किया जायेगा।
(3) परीक्षकों के बीच मतभेद की दषा में, संकायध्यक्ष विद्यार्थी अनुसंधान समिति के परामर्ष से, शोध निबंध का मूल्यांकन करने के लिए अन्य परीक्षक नियुक्त कर सकेगा।
(4) रिपोर्ट को समय पर प्राप्त न करने की दषा में, संकायध्यक्ष शोध निबंध का मूल्यांकन करने के लिए अन्य परीक्षक नियुक्त कर सकेगा।
(5) यदि परीक्षक पी.एच.डी. शोध निबंध को पुनः प्रस्तुत करने की सिफारिष करते हैं तो अभ्यर्थी को संसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसा करना चाहिए जिसे अनुज्ञात परीक्षणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आपवादिक परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
(6) एम.एस. (फार्म.) शोध प्रबंध का विद्यार्थी अनुसंधान द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

32. डिग्री का दिया जाना :–

(1) मास्टर डिग्री की दषा में यदि किसी अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा के लिए सिफारिष की जाती है तो उसे अपने शोध निबंध या शोध प्रबंध की, विद्यार्थी अनुसंधान समिति के समक्ष प्रतिरक्षा करनी होगी और पी.एच.डी. की डिग्री की दषा में एक सलाहकार और दो बाह्य परीक्षकों में से एक साधारणता बनने वाली संकायाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित मौखिक प्रतिरक्षा समिति के समक्ष प्रतिरक्षा करनी होगी, और उससे किसी अविचलन के लिए संकायाध्यक्ष से पूर्व अनुज्ञा की आवष्यकता होगी।

(2) मौखिक परीक्षा की समाप्ति पर, मौखिक प्रतिरक्षा समिति संकायाध्यक्ष को निम्नलिखित में से एक सिफारिष करेगी कि :–

(क) किसी रूपान्तर या परिषोधन के बिना डिग्री दी जाए, या

(ख) विनिर्दिष्ट रूपान्तरण या परिषोधन सहित डिग्री दी जाए, या

(ग) किसी प्ष्चातवर्ती विनिर्दिष्ट तारीख को या समय पर अभ्यर्थी की पुनःपरीक्षा की जाये,

(घ) डिग्री प्रदत्त नहीं की जानी चाहिए।

(3) डिग्री सीनेट द्वारा प्रदत्त की जाएगी, परन्तु यह तब जब कि :

(क) मौखिक प्रतिरक्षा समिति ऐसा करने की सिफारिष करती है,

(ख) विद्यार्थी, "कोई शोध्य नही" प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है, और

(ग) विद्यार्थी ने पूरे किए गए शोध निबंध की एक ठोस जिल्द की पांच प्रतियां प्रस्तुत कर दी हैं।

33. पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान :–

कतिपय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए, पोस्ट डाक्टोरल अध्येता सहयोजित किए जा सकेंगे और वे उन क्षेत्रों में संस्थान में, जिनमें वे कमी पाते हैं, चयनित पाठ्यक्रमों में स्वैच्छिक उपस्थित हो सकेंगे।

34. प्रषिक्षण और निरंतर षिक्षा कार्यक्रम :–

(1) फार्मेसी के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास के संबंध में अध्ययन फार्मेसी वृत्ति में व्यक्तियों को यहयोजित करने के लिए, संस्थान समय–समय पर प्रषिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा।

(2) महाविद्यालयों या विष्वविद्यालयों मे फार्मेसी की विभिन्न विद्या शाखाओं में अध्यापन के कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को संस्थान में निरंतर षिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से (उदाहरणार्थ पुनष्चर्या पाठ्यक्रम आदि) फामेंसी के क्षेत्र में नए सुधारों के बारे में ज्ञात कराया जाएगा।

(3) संस्थान, इस बाबत राष्ट्रीय (उदाहरणार्थ अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद्) और अंतर्राष्ट्रीय (उदाहरणार्थ विष्व स्वास्थ्य संगठन्) निकायों के साथ विचार विमर्ष करेगा।

35. मीडिया और पाठ्यक्रम विकास :–

(1) फार्मेसी वृत्ति में षिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने हेतु पाठ्यक्रम को निरंतर रूप में मूल्यांकित किया जाएगा और प्रौद्योगिकी तथा प्रयोगषाला प्रषिक्षण या कार्यषाला के उभरते हुए क्षेत्रों मे नए कार्यक्रमों के समावंष को अध्यतन किया जाएगा।

(2) भारतीय आर्थिक व्यवस्था के उदारीकरण, वैष्वीकरण और निजीकरण के संदर्भ में, उद्योगों के लिए सही रूप से प्रषिक्षित व्यक्तियों की आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठयक्रम के सुधार पर विषेष ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

(3) पाठयक्रम विकास में संस्थान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचार विमर्ष दोनों अंतर्वलित होंगे जिससे कि उद्योगों से वृत्तिकों की पहचान की जा सके जो औद्योगिक कार्य या समस्या की पहचान की माध्यम से पाठयक्रम नियोजन में सहयोजित हो सकते हैं।

(4) इस प्रयोजन के लिए अनपाए गए मीडिया पर अत्याधिक रूप से आधारित किसी पाठयक्रम का प्रभावी विकास, प्रकाषित और अप्रकाषित सामग्रियों का फार्मेसी वृत्ति के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल करते हुए चयन किया जाएगा।

(5) संस्थान के डेस्कटाप पब्लिकेषन इकाई के पाठयक्रम को वैज्ञानिक से प्रभावी करने को कार्यान्वित करने हेतु सलाइडें, मॉडल, वीडियो कार्यक्रम और संबंधित उप साधनों का उपयोग किया जाएगा।

36. उपस्थिति

(1) सभी विद्यार्थियों से सेमेस्टर के दौरान प्रत्येक व्याख्यान और व्यावहारिक कक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित है। परंतु यह कि विलंबित रजिस्ट्रीकरण, रुग्णता और अन्य आकस्मिकताओं की दषा में उपस्थिति वास्तविक रूप से हुई कक्षाओं की न्यूनतम 75 प्रतिषत अपेक्षित होगी।

(2) अध्यादेष 18 के अधीन पुनःपरीक्षाओं में उपस्थित होने वाले किसी विद्यार्थी से कक्षाओं में उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) अध्यादेष 18 के खंड (5) के अधीन पुनः परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले किसी विद्यार्थी से अगले बैच के नियमित विद्यार्थियों के साथ कक्षाओं में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी और उपस्थिति अपेक्षा वही होगी जो ऊपर (1) में दी गई है।

37. छुट्टी–

(1) मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए–

(क) संस्थान में उनके ठहरने के लिए तील सेमेस्टर के दौरान साधारण छुटिटयों के अतिरिक्त कोई विद्यार्थी अधिकतम 45 दिनों की छुटटी का हकदार है और ग्रीष्मकालीन, षरद कालीन आदि के रूप में किसी अन्य छुटटी का हकदार नहीं होगाः
(ख) छुटटी विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन हैः
(ग) प्रत्येक वर्ष 45 दिनों की छुटटी के अतिरिक्त 10 दिन की चिकित्सा छुटटी विभागाध्यक्ष द्वारा मंजूर की जा सकती है।

(2) पी.एच.डी. डिग्री कार्यक्रम के लिए कोई विद्यार्थी साधारण छुटिटयों के अतिरिक्त प्रति वर्ष तीस दिनों की छुटटी का हकदार है।

(3) महिला विद्यार्थी उनकी कालावधि के दौरान एक बार तीस दिनों की छुटटी के अतिरिक्त छात्रवृत्ति सहित तीन मास की प्रसूति छुटटी की हकदार होगी।

(4) संकायाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से षैक्षिक बैठकों या सेमिनारों या अधिवेषनों में उपस्थित होने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित छुटटी मंजूर की जा सकेगी।

(5) किसी भी प्रकार की छुटटी की, विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के लिए सलाहकार द्वारा सिफारिष होनी है।

(6) प्रत्येक विभाग प्रत्येक विद्यार्थी की छुटटी का लेखा रखेगा।

38. छात्रावास सुविधा–

(1) प्रवेष किए गए सभी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपलब्धता के अधीन रहते हुए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और ऐसी वास सुविधा के लिए फीस समय– समय पर सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

39. साधारण टिप्पण–

(1) संस्थान में प्रवेष कराए गए सभी विद्यार्थी संस्थान द्वारा विहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा के अध्यधीन होंगे।

(2) इस अध्यादेष में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों के सभी प्रवर्ग इस बाबत सीनेट द्वारा अधिकथित नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा षासित होंगे।

(3) इस अध्यादेष के संबंध में उद्भूत कोई संदेह या विवाद विनिष्चय के लिए सीनेट के अध्यक्ष को निदेषित किया जाएगा।

(फ.सं. 52(18)/नाईपर/2001)
जी.एस. संधु, संयुक्त सचिव